वित्तीय स्वीकृति

संख्या–1114/52–3–13–बजट(17)/2013

प्रेषक,

लीना जौहरी,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग–3, **लखनऊ : दिनांक 21 मई, 2013**

विषयः–वित्तीय वर्ष 2013–14 में कक्षा–10 पास अल्पसंख्यक छात्राओं को आगे की शिक्षा ग्रहण करने अथवा विवाह हेतु ''हमारी बेटी उसका कल'' योजनान्तर्गत अनुदान प्रदान किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–521/अ0सं0क0नि0–946/नियो0/बा0शि0अनु0/2013 दिनांक 14 मई, 2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–1326/52–3–12–सा(2)/12 दिनांक 18.4.2012 में दी गयी व्यवस्था के तहत ऐसी अल्पसंख्यक छात्राओं जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय अधिकतम रू0 36,000/– तक है तथा जिन्होंने वर्तमान शैक्षिक सत्र में कक्षा–10 की परीक्षा उत्तीर्ण करके कक्षा–11 में प्रवेश लिया है, को आगे की शिक्षा ग्रहण करने अथवा विवाह हेतु रू0 30,000/– का अनुदान प्रदान किया जाने की व्यवस्था की गयी है।

2– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–640/दस–2013–231/2013, दिनांक 28 मार्च, 2013 के प्रस्तर–2(4) में दी गयी व्यवस्थानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 मे उक्त योजनान्तर्गत आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि रू0 3,50,00,00,000/– के सापेक्ष रू0 3,00,00,00,000/– (रू0 तीन अरब मात्र) स्वीकृत कर निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1–उक्त स्वीकृत धनराशि से केवल उन्हीं छात्राओं को लाभान्वित किया जायेगा, जिन्होंने शैक्षिक सत्र 2012–13 में कक्षा–10 की परीक्षा उत्तीर्ण करके शैक्षिक सत्र 2013–14 में कक्षा–11 में प्रवेश लिया है।

2–कोषागार से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

3–उक्त स्वीकृत धनराशि से केवल योजनान्तर्गत पात्र छात्राओं को ही धनराशि का भुगतान किया जायेगा। किसी भी दशा में उक्त धनराशि से किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा।

4–योजना केक्रियान्वयन हेतु शासनादेश सं0–1326/52–3–12–सा(82)/12, दिनांक 14.8.2012 एवं समय–समय पर निर्गत तत्सबंधी शासनादेशों में निर्गत दिशा निर्देशों/आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5–शासनादेश दिनांक 14.8.2012 के प्रस्तर–2(7) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार योजनान्तर्गत लाभार्थी बालिकाओं को अनुदान की धनराशि एक समारोह आयोजित कर प्रभारी मंत्री / मंत्री जी के उपस्थित में वितरित की जायेगी तथा उक्त निमित्त योजनान्तर्गत आय व्ययक में प्राविधानित कुल धनराशि के सापेक्ष 0.5 प्रतिशत की धनराशि प्रशासकीय मद में पूर्व निर्धारित शर्तो / प्रतिबन्धो के अधीन व्यय की जायेगी।

6–उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण शासन को प्रत्येक 06 माह पर तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र माह मार्च, 2014 की समाप्ति पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

7–धनराशि का आवंटन (एलॉटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार / केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

2– उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–48 के लेखाशीर्षक–2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ों वर्गो का कल्याण–80–सामान्य–800–अन्य व्यय–0309–अल्पसंख्यक समुदाय की कक्षा–10 पास छात्राओं को आगे की शिक्षा ग्रहण करने अथवा विवाह हेतु अनुदान –20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–640 / दस–2013–231 / 2013, दिनांक 28 मार्च, 2013 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(लीना जौहरी)
सचिव

संख्या– 1114(1) / 52–3–13–तददिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम / द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।

2–महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

3–कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ / वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

4–रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704, जवाहर भवन, लखनऊ।

5–वित्त (ई–11) अनुभाग / वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1(02 प्रतियों में) / नियोजन अनुभाग–3 संबंधित सहायक / गार्ड फाईल।

6–अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग–1

आज्ञा से,

(जय प्रकाश पाण्डेय)
उप सचिव

B/Budht/m